न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र कुमार,
आई0ए0एस0

6 ए आवश्यक वस्तु अधि0 सं0 06/2014
सरकार जरिये पुलिस उप अधीक्षक, एससी एसटी सैल दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

..प्रार्थी

बनाम

1. धर्मेन्द्र जांगिड, व्यवस्थापक दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0
2. छीतरमल पुत्र गोपाल लाल मीना निवासी बिराजपुरा थाना बस्सी जिला जयपुर
3. रामरतन शर्मा, मिल मालिक मैसर्स आनन्द फ्लोर मिल, रीको एरिया बस्सी जिला जयपुर
4. मैसर्स आनन्द फ्लोर मिल, रीको एरिया बस्सी जिला जयपुर जरिये रामरतन शर्मा, मिल मालिक

..अप्रार्थीगण

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री पूरण चंद महावर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1(अनुपस्थित)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा गेहूँ 50 क्विं0 (100 कट्टे गेहूँ) को राजसात करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि उप पुलिस अधीक्षक, एससी/एसटी सैल दौसा ने दिनांक 24.7.2014 को जब्त किये गये 100 कट्टे (वजनी 50 किलोग्राम प्रति कट्टा) को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि दिनांक 24.7.2014 को उप पुलिस अधीक्षक, एससी/एसटी सैल दौसा को सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राजमार्ग 11 खैरवाल मोड पर नाकाबंदी की गई तो एक लोडिंग वाहन आरजे 14 2 सी 2884 2.05 पी.एम. पर दौसा की तरफ से आता दिखाई दिया तो उसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया किन्तु वाहन चालक नाकाबंदी तोडकर वाहन को भगा ले गया जिसका पीछाकर लगभग 1 किलोमीटर आगे रूकवाया गया। वाहन के रूकते ही वाहन चालक भागने लगा तो बहमराह साथियों ने उसको पकडा। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 100 कट्टे भारतीय खाद्य निगम की छाप के रखे मिले जिनका अनुमानित 50 किलोग्राम प्रति कट्टा था जिसका कुल वजन 50 क्विं. था। पूछताछ करने पर वाहन चालक छीतरमल ने बताया कि वह इन कट्टों को आनन्द फ्लोर मिल बस्सी पर ले जा रहा है। इस पर उक्त वाहन को तय 50 क्विं0 (100 कट्टे) गेहूँ को जब्त कर व्यंवस्थापक श्री धर्मेन्द्र जांगिड, दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 को सुपुर्द किये [illegible] जांच के क्रम में जांच दल के द्वारा दिनांक 24.7.2014 को मैसर्स आनन्द [illegible] रीको एरिया बस्सी में गेहूँ बिखरे हुए थे, उनको भी एकत्रित कर[illegible] लगभग 50 क्विं0 के 19 कट्टे भरे जिनका वजन लगभ[illegible] किया गया जो [illegible]क वस्तु की श्रेणी में है। इस प्रकार कुल गेहूँ 50 क्विं. व 9.5[illegible]क्विं0 कुल 59.50 क्विं[illegible]य बारदाना है। अतः प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर जब्तशुदा माल 59.50 क्विं0 गेहूँ मय बारदाना का निस्तारण फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

4. अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उप पुलिस अधीक्षक, एससी/एसटी सैल दौसा द्वारा नाकाबंदी के दौरान दिनांक 24.7.2014 को एक लोडिंग वाहन आरजे 14 2 सी 2884 2.05 पी.एम. पर दौसा की तरफ से आता दिखाई दिया तो उसे हाथ देकर रोकने का प्रयास किया किन्तु वाहन चालक नाकाबंदी तोडकर वाहन को भगा ले गया जिसका पीछाकर लगभग 1 किलोमीटर आगे रूकवाया गया। वाहन के रूकते ही वाहन चालक भागने लगा तो बहमराह साथियों ने उसको पकडा। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 100 कट्टे भारतीय खाद्य निगम की छाप के रखे मिले जिनका अनुमानित 50 किलोग्राम प्रति कट्टा था जिसका कुल वजन 50 क्विं. था। पूछताछ करने पर वाहन चालक छीतरमल ने बताया कि वह इन कट्टों को आनन्द फ्लोर मिल बस्सी पर ले जा रहा है। इस पर उक्त वाहन को तय 50 क्विं0 (100 कट्टे) गेहूँ को जब्त कर व्यवस्थापक श्री धर्मेन्द्र जांगिड, दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 को सुपुर्द किये गये। इसके अतिरिक्त इसी जांच के क्रम में जांच दल के द्वारा दिनांक 24.7.2014 को मैसर्स आनन्द फ्लोर मिल रीको एरिया बस्सी में गेहूँ बिखरे हुए थे, उनको भी एकत्रित करवाकर जिनका वजन लगभग 9.50 क्विं0 कुल 59.50 क्विं0 गहको साजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त जब्तशुदा गेहूँ बाबत कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब्तशुदा माल बाबत कोई स्वामित्व का दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराया गया। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य मानते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 59.50 क्विं0 गेहूँ मय बारदाना राजसात किया जाता है। व्यवस्थापक दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 दौसा को आदेशित किया जाता है कि जब्तशुदा 59.50 क्विं0 गेहूँ मय बारदाना का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर पालना से एक माह में इस न्यायालय को अवगत करावें। अधीनस्थ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 दौसा एवं उप पुलिस अधीक्षक एससी/एसटी सैल दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:53 IST
Reason: SelfAttested